Am-III

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर–वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

   (1) **रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा** :– रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा को जोडने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सडक वन क्षेत्र से गुजरती है।

   (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

   क. स्थान सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या –

   ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) – **2.00 हेक्टेयर**

   ग. वन मण्डल – बारां

   घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग–अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड़ प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति–स्वीकृत/अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि ....

स्थान ....

(बडे अक्षरों में नाम) ....

पता .... एस० एस० मीना
अधिशाषी अभियन्ता

प्रस्ताव की क्रम संख्या सा०नि०वि०खण्ड शाहबाद

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

हस्ताक्षर — ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत असनावर

हस्ताक्षर — पटवारी हल्का

30-10-2014 हस्ताक्षर — सहा० वनपाल, वन पाल

E:\Edit (2)\...\परिशिष्ट (प्रपत्र-क)K-(14)

(34)

संख्या -

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स, कोटा.6 ☎ : 2380748

G. P. 11

पंचायत / न्याय उप समिति असनावर पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां 2014-15 वर्ष

बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
रा०ज० सम्पर्क आईटीकेन्द्र असनावर	श्रीमति कमलेश बाई मीणा		आज दिनांक 02/10/2014 को श्रीमान सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ() पराविसीडीपी/2014/3555 दिनांक 23-09-2014 तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां के आदेश क्रमांक एफ-8/सामान्य/2014/4948- दिनांक 30/9/14 तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक Z A N BM/428 दिनांक 30/9/14 तथा श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति किशनगंज के आदेश क्रमांक/2014/6330 दिनांक 01/10/2014 तथा क्रमांक/2014/6334 दिनांक 01/10/2014 की अनुपालना में ग्राम पंचायत मुख्यालय असनावर के रा०ज० सम्पर्क आईटी केन्द्र में सरपंच श्रीमति कमलेश बाई मीणा की अध्यक्षता में स्वच्छता दिवस अन्तर्गत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अग्रलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की	कमलेश सरपंच ग्राम पंचायत असनावर पं.स. किशनगंज (बारां) [signature] सचिव ग्राम पंचायत असनावर पं.स. किशनगंज जिला बारां [signature] [signature] [signature] सामाजा [illegible]

Am-II

अन्तर्गत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अग्रलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

* गत बैठक कार्यवाही का पठन तथा लिये गये प्रस्तावों, निर्णयों पर चर्चा की गई।

ग्राम सभा मे निम्न बिन्दुओं पर सविस्तार चर्चा की गई।

* <u>स्वच्छता ~~दिवस~~ सप्ताह (25 sept से 01 oct 2014)</u>

01. स्वच्छता सप्ताह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एवं सामाजिक मीडिया एवं रैलियों के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों की आवश्यकता प्रतिपादित की जावे।

02 स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता दौड़ का आयोजन सभी जिलों में क्रीडा केन्द्रों पर जिला कलेक्टर की देखरेख में किया जायेगा। दौड़ से पूर्व सम्पूर्ण स्वच्छता पर प्रेरक उद्बोधन, प्रश्नोत्तरी एवं पुरस्कार वितरण तथा स्वच्छता सन्देश आधारित उपयुक्त नाटकों गतिविधि

सीमाबाई
चतरजी
[signature]
कैलाशी बाई
[signature]
[signature]
[signature]
Manju
रामकिशन
बानुलाल

Ann-VI

उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
4	5	6

भी आयोजित की जावे।

३ स्वच्छता सप्ताह के समापन पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बालक एवं बालिकाओं के लिए स्वच्छता के मुद्दे पर निबन्ध एवं चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन किया जावे।

4. अभिभावकों के लिए स्थानीय समुदाय में जनभागीदारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावे।

5. यह प्रयास किया जाए की जनप्रतिनिधि, सिविल सोसाईटीज विभिन्न संगठन औद्योगिक घरानें एवं अन्य संस्थाओं का उपरोक्त कार्यक्रम में सहयोग लेकर प्रेरित किया जावे।

6. राज्य अधिकारी / कर्मचारी उनके परिवार सदस्य या उनके संघों के माध्यम से स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भागीदारी देने की आशा की जाती है।

अवसर पर की जाने वाली गतिविधियां

7. सरकारी अधिकारियों / कार्मिकों एवं जनसमुदाय द्वारा समय 12.00 अपराह्न स्वच्छता पर शपथ जिसका प्रारूप में निर्धारित की शपथ की जावे।

8. ग्राम पंचायतों / शहरी निकाय के वार्डों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए समुदाय आधारित विविध गतिविधियां (घर, गली, मोहल्ले, सड़कों, नालियों, सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों में साफ/सफाई) आयोजित की जावे।

9. निकायों में ठोस प्रभाव ([illegible] effect) दिखाई देने की दृष्टि से घर, सरकारी दफ्तर, स्कूल, हॉस्पीटल, सड़कें, बाजार, रेलवे स्टेशन बस अड्डे, धार्मिक स्मारक नदियां झील, तालाब, पार्क और इसी जगहों पर साफ/सफाई सामुदायिक सहभागिता से सम्बन्धित विभाग करवायें।

10 शाला भवनों एवं सरकारी कार्यालय महात्मा गांधी जयन्ती के कार्यक्रमों के लेकर खुले रखें।

शौचालय निर्माण हेतु — व्यक्तिगत लाभ अन्तर्गत शौचालय निर्माण की निश्चित राशि देय होगी

उप-प्रधान

पंचायत समिति ...... जिला ...... वर्ष 2014-15

नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	5	6

ग्राम पंचायत - असनावर में निम्न प्रकार से शौचालय स्वीकृत है

ग्राम	स्वी० शौचालय संख्या
गोरेला	20
गोपालपुरा	10
असनावर	74
तगड़ियाढानी	20
धाना	20
खिलराई	20
सीपुरा	20
	184

स्वी० राशी

MGNREGA मद :⇒

अकुशल - 3260
कुशल - 2140
योग - 5400/-

योजना मद :⇒
4600/-

अंशदान :⇒ 900

कुलयोग - 5400+4600+900= 10900/-

ग्राम पंचायत को डिपाजिट कार्य के तौर पर 75% अन्तर्गत - 150000/- प्राप्त हो चुके है अतः उपस्थित सभी से आग्रह है कि वे योजना का लाभ उठाकर खुले में शौच से मुक्ति पायें।

स्वच्छता शपथ :⇒

महात्मा गाँधी ने हमें देश के लिए जीना सिखाया।
महात्मा गाँधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के माँ भारती को आजाद किया।
आओ हम संकल्प करें

ग - 1448

G. P. 11

पंचायत समिति ......छिरानी (?)...... जिला ......धार...... 2014-15 वर्ष

...यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6

गंदगी दूर करना – यही भारत माता की बहुत बड़ी सेवा है।

मैं शपथ लेता/लेती हूँ।

- स्वयं स्वच्छता के लिए हर वर्ष 100 घण्टे यानि कि हर सप्ताह दो घंटे श्रम-दान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा/करूंगी।
- न गंदगी करूंगा/करूंगी, न गंदगी करने दूंगा/दूंगी।
- मैं सबसे पहले स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से, स्वच्छता की शुरुवात करूंगा/करूंगी।
- हम सब जानते हैं कि दुनियां के वही देश स्वच्छ हैं, जिसके नागरिक गंदगी नहीं करते हैं
- हम गांव-गांव, गली-गली स्वच्छता अभियान का प्रचार करते रहेंगे।
- मैं आज जो शपथ ले रहा/रही हूँ। यह शपथ अन्य 100 व्यक्तियों को भी दिलवाऊंगा/दिलवाऊंगी, जो हर साल 100 घण्टे स्वच्छता के काम में देंगे।
- गांधी जी के सपनों का भारत सिर्फ आजाद भारत नहीं, स्वच्छ साफ-सुथरा भारत ही इसीलिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

प्रस्ताव सं.-01	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम असनावट	
प्रस्ताव सं.-02	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम - पाना	
प्रस्ताव सं.-03	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम - करवालाडईवलकी	
प्रस्ताव सं.-04	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम - खीपुरा	
प्रस्ताव सं.-05	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम - लगडियापानी	
प्रस्ताव सं.-06	सामुदायिक शौचालय - निर्माण - ग्राम - गोरेला	

[illegible]

क कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स, कोटा.6 ☎ : 2380748

G. P. 11

असनावर पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां 2014/15 वर्ष

पस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
प्रस्ताव सं०-7.	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम- गोपालपुरा	
प्रस्ताव सं०-08	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम- बिसलाई	
प्रस्ताव सं०-09.	सामुदायिक शौचालय निर्माण - ग्राम पाली	दमयन्ती
प्रस्ताव सं०-10	आज दिनांक 02/10/2014 को ग्राम सभा आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क रामगढ़ कालापड़ला सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में कच्ची है इसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन-भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 10 पर दर्ज है, तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रस्ताव सं० 01 से 10 तक के अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से किया गया तथा समस्त बैठक कार्यवाही को उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया व अनुमोदन किया गया। श्रीमान सरपंच महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पश्चात बैठक कार्यवाही समाप्त की गई। कमलेश सरपंच ग्राम पंचायत असनावर पं.स. किशनगंज (बारां) [illegible signature] ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत असनावर पं० स० किशनगंज जिला बारां	

प्र-५५४

Am-IV

कार्यालय ग्राम पंचायत असनावर

आज दिनांक 02/10/2014 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सडक रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाली लक्ष्मीपुरा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सडक के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सडक बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 10 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई ।

कमलेश	
सरपंच ग्राम पंचायत	सचिव ग्राम पंचायत
सरपंच	ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत असनावर	ग्राम पंचायत असनावर.
असनावर	असनावर
पंचायत समिति किशनगंज	पंचायत समिति किशनगंज

Ann-II

आज दिनांक ......31/10/14 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सडक रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 10/02.10.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सडक को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है ।

31/10/14

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड किशनगंज

रेंजर वन क्षेत्र
किशनगंज/केलवाडा/
भवंरगढ/नाहरगढ

31.10.14

विकास अधिकारी
पं.स. किशनगंज

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 10/2014

Dated 25.11.2014

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.00** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Ramgarh kala patta sadak km 2/500 to karwala laxmipura** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Laxmipura(Karwala) and Ramgarh** village(s) in **Kishanganj** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.00** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sbha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (XI).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M. Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

C:\Users\admin\Desktop\Annexuter-I___II.docx